10/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। वकील प्रार्थी ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर TF प्रार्थना पत्र वापस लेने हेतु निवेदन करते हुए बतलाया कि प्रार्थी अप्रार्थी सं. 2 व 3 के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहता है। अप्रार्थी सं. 1 के खिलाफ पूर्व में एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। वकील प्रार्थी की TF प्रार्थना पत्र पर बहस एकतरफा सुनी गयी। [illegible] कर चिंतन मनन व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थिया को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा के निस्तारण मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के लिए पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल [illegible] [illegible] जावे। आदेश खुले न्यायालय [illegible]